



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253064
CG-DL-E-15032024-253064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945

No. 194]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

सा.का.नि. 208(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. (1) इस आदेश का नाम मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय, वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 (जिसे इसमें उक्त आदेश कहा गया है) के, खंड 2 में -

(i) मद (क) में

(क) "संख्यांक आई एस 2796 और आई एस 1460" शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ख) "क्रमशः" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) मद (छ) के स्थान पर निम्नलिखित मद को रखा जाएगा, अर्थात्: -

(छ) "मोटर स्पिरिट" से आई एस-2796 के अनुरूप किसी भी हाइड्रोकार्बन तेल (कच्चे खनिज तेल को छोड़कर) पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा-विनिर्दिष्ट और स्पार्क इग्निशन इंजन चालित वाहन में उपयोग के लिए ईंधन की आवश्यकता पूरी करने वाले निर्जल एथेनॉल के साथ इसका मिश्रण अभिप्रेत है।

(iii) मद (ज) में "आई बी पी कं. लिमिटेड" अक्षरों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) मद (न) के स्थान पर निम्नलिखित मद को रखा जाएगा, अर्थात्: -

(न) "अविनिर्देशगत उत्पाद का विक्रय" से किसी व्यौहारी द्वारा ऐसी क्वालिटी का मोटर स्पिरिट या उच्च वेग डीजल का विक्रय करना अभिप्रेत है जो मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिसूचित विनिर्देश के अनुरूप नहीं है;

3. उक्त आदेश के, खंड 3 के, उपखंड (3) में मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद को रखा जाएगा, अर्थात्: -

(ख) कि उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता तेल कंपनी द्वारा जारी किए गए परिदान दस्तावेजों के अनुसार है और उत्पाद की क्वालिटी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशों को लागू अपेक्षाओं के अनुरूप है, इस प्रयोजन के लिए, तेल कंपनी परिदान दस्तावेजों में लागू भारतीय मानक ब्यूरो में विनिर्दिष्ट तापमान पर उत्पाद के घनत्व को इंगित करेगी और व्यौहारी या उपभोक्ता -

(i) घनत्व का रिकॉर्ड बनाए रखेगा;

(ii) उत्पाद के नमूने उसके और टैंक ट्रक के चालक द्वारा संयुक्त रूप से सम्यक्तः हस्ताक्षरित करके रखेगा; और

(iii) तेल कंपनी द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट अन्य उपाय भी करेगा:

परंतु परिदान दस्तावेजों में उल्लिखित घनत्व की तुलना में टैंक ट्रक में उत्पाद के घनत्व में भिन्नता ± 0.0030 से अधिक नहीं होनी चाहिए;"।

4. उक्त आदेश के, खंड 6ख का लोप किया जाएगा।

5. उक्त आदेश के, खंड 8 में, -

(क) उपखंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -

'(1) खंड 7 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी यह जांच करने के लिए कि क्या उत्पाद का घनत्व और अन्य प्राचल मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल के लिए लागू भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशों के अनुरूप हैं, आई एस-1447 के अधीन विनिर्दिष्ट और समय-समय पर यथासंशोधित नमूना पद्धति के अनुसार जैसा भी मामला हो, टैंक, नोजल, यान अथवा पात्र, से नमूना लेगा और यदि नमूने खुदरा बिक्री केन्द्र से लिए जाते हैं तो डीलर द्वारा खंड 3 के उप खंड (3) की मद (ख) की अपेक्षानुसार रखे गए पिछली दो प्राप्तिओं के सुसंगत टैंक ट्रक नमूनों को भी प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए एकत्रित किया जाएगा।';

(ख) उप-खंड (4) में, "भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश संख्यांक आई एस 2796 और आई एस 1460 क्रमशः मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल की अपेक्षाओं " शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल के लिए लागू भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश की अपेक्षाओं" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. एम-12029(11)/2/2021-ओएमसी-पीएनजी]

सुजाता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 729(अ), तारीख 19 दिसंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसे सा.का.नि. संख्यांक 18(अ), तारीख 12 जनवरी, 2007, सा.का.नि. 1(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2008, सा.का.नि. 352(अ), तारीख 6 मई, 2014, सा.का.नि. 621(अ), तारीख 10 अगस्त, 2015, सा.का.नि. 728(अ), तारीख 29 जून, 2017, सा.का.नि. 395(अ), तारीख 30 मई, 2019, सा.का.नि. 830(अ), तारीख 8 नवंबर, 2019, सा.का.नि. 903(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2019,

सा.का.नि. 78(अ), तारीख 3 फरवरी, 2020 और सा.का.नि. 203(अ), तारीख 22 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 15th March, 2024

G.S.R. 208(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, namely :-

1. (1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 2, –

(i) in item (a),-

(A) the words, letters and figures “number IS 2796 and IS 1460” shall be omitted ;

(B) the word “respectively” shall be omitted ;

(ii) for item (g), the following item shall be substituted, namely :-

‘(g) “motor spirit” means any hydrocarbon oil (excluding crude mineral oil) conforming to IS-2796 or its blend with anhydrous ethanol as specified by Bureau of Indian Standards from time to time meeting the requirement as a fuel for use in spark ignition engine powered vehicles.’;

(iii) in item (h), the letters and words “the IBP Co. Limited“ shall be omitted ;

(iv) for item (t), the following item shall be substituted, namely :-

‘(t) "sale of off specification product" means the sale of motor spirit or high speed diesel by dealer of quality not conforming to the specifications notified by the Bureau of Indian Standards for motor spirit and high speed diesel.’.

3. In the said Order, in clause 3, in sub-clause (3), for item (b), the following item shall be substituted, namely : –

“(b) that the quantity and quality of the product is as per delivery documents issued by the oil company and the quality of the product conforms to the requirements of the applicable Bureau of Indian Standard specifications for motor spirit and high speed diesel, for which purpose, the oil company shall indicate the density of the product at the temperature specified in the applicable Bureau of Indian Standard in the delivery documents and the dealer or consumer shall maintain –

(i) a record of densities;

(ii) keep samples of product duly signed jointly by him and the driver of tank truck; and

(iii) take other measures as specified by the oil company:

Provided that the variation in density of the product in tank truck compared to the density mentioned in delivery documents shall not be more than +/-0.0030;”.

4. In the said Order, clause 6B shall be omitted .

5. In the said Order, in clause 8, –

(a) for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely : –

‘(1) The authorised officer under clause 7 shall draw the sample from the tank, nozzle, vehicle or receptacle, as the case may be, as per sampling methodology specified under IS-1447, as amended from time to time, to check whether density and other parameters of the product conform to the applicable Bureau of Indian Standard specifications for motor spirit and high speed diesel and in case samples are drawn from retail outlet, the relevant tank truck samples of last two receipts retained by the dealer as required under item (b) of sub-clause (3) of clause 3 shall also be collected for laboratory analysis.’;

(b) in sub-clause (4), for the words, letters and figures “requirements of Bureau of Indian Standard specifications No. IS 2796 and IS 1460 for motor spirit and high speed diesel respectively” the words “requirements of applicable Bureau of Indian Standard specifications for motor spirit and high speed diesel” shall be substituted.

[No. M-12029(11)/2/2021-OMC-PNG]

SUJATA SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 19th December, 2005 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 18(E), dated the 12th January, 2007, G.S.R. 1(E), dated the 31st December, 2008, G.S.R. 352(E), dated the 6th May, 2014, G.S.R. 621(E), dated the 10th August, 2015, G.S.R. 728(E), dated the 29th June, 2017, G.S.R. 395(E), dated the 30th May, 2019, G.S.R. 830(E), dated the 8th November, 2019, G.S.R. 903(E), dated the 10th December, 2019, G.S.R. 78(E), dated the 3rd February, 2020 and G.S.R. 203(E), dated the 22nd March, 2021.